

3

# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 385 / 2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

पीटर कोनगाड़ी.....आवेदक / विक्रेता

अंजली तोपनो.....क्रेता

बनाम

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर  | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, लागू संज्ञित |           |                |           |                |            |    |    |     |      |  |
|------------------------------|---|--|-----------|----------------|-----------|----------------|------------|----|----|-----|------|--|
| 06.02.2024                   | <p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती पीटर कोनगाड़ी पिता/पति स्व० जोसेफ कोनगाड़ी ग्राम-तोरपा रोड, खूँटी टोली, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <table border="1" data-bbox="303 1019 1324 1120"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>खूँटी टोली</td> <td>80</td> <td>66</td> <td>211</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक/आवेदिका के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती पीटर कोनगाड़ी पिता/पति स्व० जोसेफ कोनगाड़ी ग्राम-खूँटी टोली, पो०-खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को मकान निर्माण हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री/श्रीमती अंजली तोपनो पिता/पति जोसेफ होरो ग्राम-कदमा, पो०-खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते/चाहती है।</p> <p>आवेदक/आवेदिका अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0939420358 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 29 दिनांक 12.01.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक/आवेदिका की खरीदगी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम सुन्दर मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयत के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं० 1 के पृष्ठ सं० 55 पर जमावंदी दर्ज है।</p> | ग्राम  | थाना नं०  | खाता नं०       | खेसरा सं० | रकबा(एकड़ में) | खूँटी टोली | 80 | 66 | 211 | 0.10 |  |
| ग्राम                        | थाना नं०  | खाता नं०   | खेसरा सं० | रकबा(एकड़ में) |           |                |            |    |    |     |      |  |
| खूँटी टोली                   | 80  | 66   | 211       | 0.10           |           |                |            |    |    |     |      |  |

(4)

आवेदक/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिरसे की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कराने हेतु बिक्री करना चाहते हैं।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 759 दिनांक 12.01.2024 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं०- JHCST/2022/211221 दिनांक 21.09.2022 व अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं०- JHRC/2023/134544 दिनांक 09.05.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 29 दिनांक 12.01.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती पीटर कोनगाड़ी पिता/पति स्व० जोसेफ कोनगाड़ी ग्राम-खूँटी टोली, पो०-खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री/श्रीमती अंजली तोपनो पिता/पति जोसेफ होरो ग्राम-कदमा, पो०-खूँटी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम खूँटीटोली के खाता सं० 66, खेसरा संख्या 211, कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
खूँटी।